जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति दिनांक 28.06.2022

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा तीन तलाक के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 28.06.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सूचना पर तीन तलाक के मामले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 10.12.2021 को वादिया श्रीमती इमराना पत्नी जाबिर निवासी थाना ग्राम टुबरी थाना झिंझाना जनपद शामली को उसके पति जाबिर द्वारा 3 बार तलाक शब्द बोलकर तलाक देने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1- जाबिर पुत्र मकसूद निवासी ग्राम मीरगना थाना चरथावन जनपद मु0नगर।

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा बलवा/मारपीट के मामले मे 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 28.06.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे जिलाबदर/हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा बलवा/मारपीट के मामले मे 01 वांछित अभियुक्त सावेज को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सावेज उर्फ भूरा पुत्र लियाकत निवासी ग्राम गोगवान थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास सावेज -

1. मु0अ0सं0 267/22 धारा 147,149,323,326,504,506,120बी भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा युवक पर हुए जानलेवा हमले में वांछित शेष 02 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 28.06.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा युवक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में वांछित शेष 02 अभियुक्तो को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 30.12.2021 को श्री हासिम पुत्र पुत्र अब्बल हसन निवासी ग्राम ख्वाजपुर थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा उसके व उसके परिजनो पर 12 युवको द्वारां जानलेवा हमले के संबंध में थाना झिंझाना पर तहरीर दाखिल की। तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के 10 साथी पूर्व मे थिाना झिंझाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-मैदा पुत्र मीरहसन निवासी ग्राम ख्वाजपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

2-सरवेज पुत्र रूकमदीन निवासी ग्राम ख्वाजपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना बाबरी

थाना बाबरी पुलिस द्वारा 02 मादक पदार्थ/गांजा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 06 किलो अवैध गांजा एवं तस्करी मे प्रयुक्त वेगन-आर कार बरामद ।

आज दिनांक 28.06.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा चौकिंग के दौरान 02 मादक पदार्थ तस्करों को 06 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा तस्करी मे प्रयुक्त 01 वेगन-आर कार सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के संबंध में थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम यह गांजा कई वर्षो से हैदराबाद व उडीसा राज्य से लाकर पश्चिम यूपी के जिलो मे बेच दिया करते थे । आज भी हम गांजा बेचन के लिये बुटराडा बस अड्डे पर पहुचे थे । तभी पुलिस ने हमे पकड लिया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. फिरोज पुत्र हफीज निवासी ग्राम बुटराडा थाना बाबरी जनपद शामली।
2. नदीम पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम चलसीना थाना रतनपुरी जनपद मु0नगर।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त फिरोजः-

1.मु0अ0स0 75/2018 धारा 323,307,504 भादवि थाना बाबरी जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 46/2021 धारा 323,324 भादवि थाना बाबरी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1. अवैध गांजा 06 किलो 400 ग्राम।
2. तस्करी में प्रयुक्त वेगन-आर कार नम्बर एचआर-26ए-2203 ।

थाना गढीपुख्ता

थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा 3500 लीटर शराब नष्ट कराये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन मे थाना गढीपुख्ता जनपद शामली से सम्बन्धित वर्ष 2013 से वर्ष 2020 तक के 166 मालो से सम्बन्धित शराब को नष्ट कराये जाने हेतु मा0 न्याया0 द्वारा आदेश पारित किया गया था। उक्त मा 0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन मे श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 166 मालो से सम्बन्धित शराब को नष्ट कराये जाने हेतु एक संयुक्त टीम गठीत की गयी। संयुक्त गठित टीम 1. स्वतंत्र राजपत्रित मजिस्ट्रेट, 2. श्री बिजेन्द्र सिंह भडाना क्षेत्राधिकारी थाना भवन, 3 श्री आन्नद भास्कर सहायक अभियोजन अधिकारी , 4. श्री अंकित राठी न्यायालय अमीन , 5. श्री धर्मेन्द्र सिंह आबकारी निरीक्षक 6. श्री कर्मवीर सिंह थानाध्यक्ष थाना गढीपुख्ता 7. है0का0 86 नईम अहमद थाना गढीपुख्ता की उपस्थिति मे नियमानुसार कार्यवाही करते हुए गड्ढा खुदवाकर विनिष्टीकरण कराया गया तथा विनिष्टीकरण की फोटोग्राफी व विडियोग्राफी की गयी। उक्त अभियोगो से सम्बन्धित मालो के नमूना माल सुरक्षित कर लिये गये है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में जनपद की थाना बाबरी/मॉनिटरिंग सेल द्वारा आयुध अधिनियम के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते मा 0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई जेल मे बिताई गई अवधि की सजा, साथ ही 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया।

वर्ष 2003 को थाना बाबरी पुलिस द्वारा अभियुक्त महफूज उर्फ फौजी पुत्र मुन्सी निवासी थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध मु 0अ0सं0 54/03 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें अभियुक्त के कब्जे से अवैध हथियार बरामद हुआ था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना बाबरी पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा जनपद की मॉनिटरिंग सेल को न्यायालय में चलाने के लिए निर्देशित किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में थाना बाबरी/ मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने में सफलता प्राप्त की है। आज दिनांक 28.06.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त महफूज उपरोक्त को जेल मे बिताई गई अवधि की सजा एवं 2000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1. महफूज उर्फ फौजी पुत्र मुन्सी निवासी थाना बाबरी जनपद शामली।